-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह द्वारा पुलिस मुठभेड़ में हत्या के मुकदमें में वांछित 01 शातिर अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को थाना गंगोह पुलिस टीम थाना क्षेत्र के बिडौली कुण्डा बन्दे पर आने जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम इस्सोपुर स्थित इण्टर कॉलेज के चौकीदार आदित्य पुत्र नीटू की हत्या करने वाला अभियुक्त **आशु पुत्र देविन्द्र निवासी अमलापुर थाना झिंझाना जनपद शामली** बिडौली कुण्डा बन्दे पर पिलखन वाली के पास कही जाने की फिराक मे हथियार लेकर खडा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त आशु उपरोक्त ने पकडे जाने के डर से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिनें पैर में गोली लगने से बदमाश को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस व 01 चाकू (मु0अ0सं0 230/26 धारा 103(1) बीएनएस की घटना में प्रयुक्त) बरामद हुआ। गिरफ्तार **अभियुक्त थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 230/26 धारा 103(1) बीएनएस का वांछित अभियुक्त है।** अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 246/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरा आदित्य के पास पहले से आना जाना था एक दिन आदित्य ने मुझे माँ बहन की गन्दी गन्दी गालिया दी थी और मैने उसी दिन ठान लिया था कि इसको सबक सिखाना है दिनांक 8/9/05/2026 की रात्रि में मै पहले से ही प्लान बनाकर अकेला ही अपने घर से चाकू अपने साथ लेकर आया था मुझे इस बात की पहले से ही जानकारी थी आदित्य आईटीआई कालेज में रात के समय अकेला रहता है और मैने कालेज मे अन्दर जाकर आदित्य से बातचीत करके उसे बहका कर कालेज से बाहर बुला लिया और अपने साथ लाये हुए चाकु से उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशु पुत्र देविन्द्र निवासी अमलापुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 चाकू (आलाकत्ल)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 241/20 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट चालानी थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 230/26 धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 246/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 चालानी थाना गंगोह सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
3. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
4. है0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह सहारनपुर।
5. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह सहारनपुर।
6. है0का0 241 मनोज कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
7. है0का0 1330 प्रविन्द्र कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।
8. है0का0 81 हरेन्द्र कुमार स्वाट टीम सहारनपुर।
9. है0का0 681 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर।
10. है0का0 1016 मन्दीप स्वाट टीम सहारनपुर।
11. का0 1131 सूरज शर्मा थाना गंगोह सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामिया गौकश/अभियुक्त घायल सहित कुल 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट (घटना में प्रयुक्त) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अिीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्रालिकारी बेहट महोदयके निकट पययवेक्षण में तथा प्रभारी लनरीक्षक बेहट के कुशि नेतृत्व द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 15/16.05.2026 की रात्रि को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा जनता रोड के शाहपुर मोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी जनता रोड़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखायी दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार पीछे मुडकर संसारपुर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों का पीछा किया गया, कुछ दूरी पर जाकर तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहे संदिग्ध व्यक्तियों की मोटरसाईकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायिरंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान आसिफ पुत्र जलील निवासी ग्राम खिडका भटकव्वा थाना बेहट जिला सहारनपुर के रूप में हुई। घायल/गिरफ्तार बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान आदिल पुत्र अल्ताफ निवासी मो0 कस्साबान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप मे हुई । जिनके कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त आसिफ 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के कई थानों पर गौकशी, मारपीट, आर्म्स एक्ट आदि के करीब 08 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त आसिफ थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-73/26 धारा 3/5/8 सी0एस0एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त आदिल के विरुद्ध 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 201/26.धारा. 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आ0एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त गणो के द्वारा द्वारा बताया गया कि हमने और हमारे साथी शहजाद पुत्र शहीद उर्फ सईद नि0 ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा करीब तीन महीने पहले ग्राम संसारपुर के जंगल में गौकशी की गयी थी। हमारा साथी शहजाद कुछ समय पहले पुलिस मुठभेड में मारा गया था। हमे भी पकडे जाने के डर से गाँव

छोडकर चला गया गये। आज हम छिपते छिपाते हुए आ रहा थे । हमे चैकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा पकड लिया गया ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-</u>

1. आसिफ पुत्र जलील निवासी ग्राम खिडका भटकव्वा थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. आदिल पुत्र अल्ताफ निवासी मो0 कस्साबान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- 02 तमंचे .315 बोर
- 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

<u>अभियुक्त आसिफ का आपराधिक इतिहास</u>

1. मु0अ0सं0 201/26.धारा. 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आ0एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 73/26 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 543/21 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 420/21 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 409/18 धारा- 366 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 337/17 धारा- 323/342/504/506 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 296/17 धारा- 147/148/149/307/452/504 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 295/17 धारा- 147/148/149/307/336/452/504 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 294/17 धारा- 147/148/149/224/225/307/336/353/427 भादविव 31(ए) सीएलए एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

<u>अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 201/26.धारा. 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आ0एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 160/23.धारा. 04/25 आ0एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 07/21.धारा. 60 आबकारी अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 67/11.धारा. 3/5/8 सी0एल0 एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1058 राहुल कुमार, थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 357 अनुज दांगी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 902 गोविन्द कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 05 उमंग राठी, थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. का0 1823 श्रवण थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र व इनके कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा दिनांक 15.05.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **मौ0 अहमद उर्फ शाहरूख उर्फ झल्ला पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौ0 हलवाईयान मस्जिद के पास कमेला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को जेवी जैन कालेज के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज छुरी/चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 234/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 अहमद उर्फ शाहरूख उर्फ झल्ला पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौ0 हलवाईयान मस्जिद के पास कमेला कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 नाजायज चाकू

अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 234/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 345/2021 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 337/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. का0 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. का0 1257 अनुज कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 विद्युत मोटर मय तांबे की कॉइल व 01 किलो 200 ग्राम तांबे का तार बरामद

घटनाओं का विवरण:-

1. वादी श्री सुरेशपाल पुत्र रामदिया नि0 ग्राम रानीपुर बरसी थाना नकुड जिला सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत पर से मोटर व वाल को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 200/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था
2. वादी श्री संजय कुमार पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम तिघरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी तथा वादी के पड़ौसी की ट्यूबवेल की मोटर का तार चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 188/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था
3. वादी श्री राहुल त्यागी पुत्र श्री बिष्णूदत्त त्यागी निवासी ग्राम अध्याना थाना नकुड जिला सहारनपुर की तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत पर लगे नलकूप का ताला तोडकर केबिल स्टार्टर व कटाउट व पास ही के मागेंराम व विश्वास के नलकूप से भी केबिल स्टारटर व कटाउट चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 161/26 धारा 331(4)/305(ए) भा0न्या0सं0 पंजीकृत कराया था।
4. वादी मनीष मलिक पुत्र ईश्वर सिंह नि0 ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड़ की तहरीर बाबत वादी व अन्य किसानो के खेत पर ट्युबवैल के तार व स्टार्टर को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 175/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनवारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए आज दिनांक 16.05.2026 को गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **प्रवीण उर्फ सैंकी पुत्र रामभज निवासी ग्राम ढोलामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम फेरु माजरा कट से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये के माल में से 01 विद्युत मोटर मय तांबे की कॉइल व 01 किलो 200 ग्राम तांबे का तार बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

प्रवीण उर्फ सैंकी पुत्र रामभज निवासी ग्राम ढोलामाजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः</u>

- *01 विद्युत मोटर मय तांबे की कॉइल*
- *01 किलो 200 ग्राम तांबे का तार*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 517 वतन पंवार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 1074 कालूराम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.02.2026 को वादी असलम पुत्र यामीन निवासी ग्राम जमालपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP11BW5028 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 32/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.05.2026 को अभियुक्त **जुबैर पुत्र आजाद हसन निवासी ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को कृष्णा फैक्ट्री के पास ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साईकिल स्पलैण्डर रंग काला रजि0नं0-UP11BW5028 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त जुबैर पुत्र आजाद हसन निवासी ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 253/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 842/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 151/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 615/21 धारा 398/401 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 616/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 649/22 धारा 380/411/454 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 432/23 धारा 380/411/414/454 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
8. मु0अ0सं0 282/13 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर ।
9. मु0अ0सं0 32/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर रजि0नं0- UP11BW5028*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. *उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाह थाना जनकपुरी सहारनपुर ।*
2. *है0कां0 649 मनवीर थाना जनकपुरी सहारनपुर ।*
3. *कां0 1751 अजय कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2025 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिहं, थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 645/25 धारा 2(b)(i)/3(1)/3(2) गैंगस्टर एक्ट बनाम अजय कुमार कश्यप पुत्र तेजराम निवासी 474, ज्वालानगर निकट सीआरपी गेट नं0- 3 थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर आदि 27 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं, थाना जनकपुरी द्वारा की जा रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.05.2026 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **अजय कुमार कश्यप पुत्र तेजराम निवासी 474, ज्वालानगर निकट सीआरपी गेट नं0- 3 थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर** को कोर्ट रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय कुमार कश्यप पुत्र तेजराम निवासी 474, ज्वालानगर निकट सीआरपी गेट नं0- 3 थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 03/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471/477ए भादवि, 66 आई0टी0 एक्ट व 7/13 भ्र०नि० अधि० थाना विशेष अनुसंधान दल (एस०आई०टी०), उ०प्र०, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 645/25 धारा 2(b)(i)/3(1)/3(2) गैंगस्टर एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरी0 श्री नेमचन्द सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उप निरी0श्री अभिषेक कुशवाह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 649 मनवीर सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. कां0 1751 अजय कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांकः **16.05.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2026 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सत्यपाल क्षेत्रीय लेखपाल, अतिरिक्त क्षेत्र सराजपुर तकीपुर तहसील नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर एक लिखित तहरीर बाबत पैमाईश करने गयी राजस्व की टीम पर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला कर देने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 245/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण **1.रविन्द्र उर्फ बिन्दा पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2.जबरसिंह पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बानूखेडी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *रविन्द्र उर्फ बिन्दा पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *जबर सिंह पुत्र जनेश्वर निवासी ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

- *02 डण्डे (घटना में प्रयुक्त)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 488 चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 568 मन्दीप कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0का0 962 मोहित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
5. *रि0का0 963 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
6. *रि0का0 964 कुलदीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
7. *रि0का0 965 संजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 16.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने के अभियोग में वांछित 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 4000/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2026 को वादी श्री विक्रम सिंह पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम परिवहन पुरम रुडकी रोड मेरठ जनपद मेरठ की लिखित तहरीर बाबत खुर्रमपुर व माजीपुर गांव में लगे मोबाइल टावर से अज्ञात चोरों द्वारा बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 165/26 धारा 303(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 08.05.2026 को वादी उ0नि0 रविन्द्र कसाना के द्वारा थाना पर बेहट पर मु0अ0सं0-197/26 धारा 109(1)/318(4)/ 303(2)/317(2)/324(2)/336(2)/61(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, छिनैती, आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15-05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.शुऐब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घाना खण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 2.फरमान पुत्र कासिम निवासी मौ0 तैमूरशाह दिल्ली अड्डा कस्बा व थाना को0 शामली जनपद शामली को कलसिया नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शुऐब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घाना खण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2. फरमान पुत्र कासिम निवासी मौ0 तैमूरशाह दिल्ली अड्डा कस्बा व थाना को0 शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

- 4000/- रुपये (मोबाईल टावर की बैट्री चोरी करके बेचकर मिले)

अभियुक्त शुऐब का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 141/2022 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. मु0अ0स0 152/2022 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. मु0अ0स0 155/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. मु0अ0स0 157/2022 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
5. मु0अ0स0 156/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
6. मु0अ0स0 228/2022 धारा 2/3 गैंग अधिनियम थाना बिहारीगढ सहारनपुर
7. मु0अ0स0 390/2023 धारा 120-B, 380, 411, 457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
8. मु0अ0स0 412/2023 धारा 120-B, 379, 411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
9. मु0अ0स0 420/2023 धारा 120-B, 379, 411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर

10.मु0अ0स0 477/2023 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट व 307/420 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
11.मु0अ0स0 36/2024 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट व 307/414 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
12.मु0अ0स0 63/2024 धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट व 307 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
13.मु0अ0स0 632/2025 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर
14.मु0अ0स0 633/2025 धारा 3(5), 305(a), 317(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर
15.मु0अ0स0 165/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर
16.मु0अ0स0 197/26 धारा 109(1)/318(4)/303(2)/317(2)/324(2)/336(2)/61(2)बीएनएस

अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 165/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 329/19 धारा 307 भादवि चालानी थाना बुढाना जनपद मु0नगर*
3. *मु0अ0स0 331/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बुढाना जनपद मु0नगर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री महेश चन्द, थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री मुकेश शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 73 प्रवेश वर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।*
4. *का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 16.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त ***बिजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0- 7273/25 धारा 498ए/323 भादवि व ¾ डीपी एक्ट चा0थाना ज0पुरी मु0अ0सं0 213/20 ता0पेशी 19/5/26 सरकार बनाम विक्रम सिंह आदि मा0 न्याया0 ACJM-III SAHARANPUR) को ग्राम लबकरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम व पता –

बिजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रवि वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2- है0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3- रि0का0 718 मेघराज थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 16.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोतल अवैध देशी शराब

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.05.2026 को गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त ***शावेज पुत्र अनीस अहमद निवासी फैसल टाउन फैसल मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर*** *को अमन पैलेस चिलकाना रोड की ओर के पासे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 07 बोतल देसी शराब ताजा माल्टा हरियाणा मार्का, बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शावेज के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 235/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शावेज पुत्र अनीस अहमद निवासी फैसल टाउन फैसल मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- *07 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।*
2. *है0का0 424 गौरव त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 04 शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 50 किलो गौवंशीय पशु अवशेष व 01 कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.05.2026 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्तगण ***1.वसीम पुत्र शाहिद निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. सावेज पुत्र हामिद निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिसा सहारनपुर 3. फूल मियां पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 बैरून कोटला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 4. असलम पुत्र अल्ताफ निवासी मौ0 भूरी बांस कस्बा कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*** *को पशु पीठ मैदान कस्बा गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 गाडी क्रेटा रंग सफेद रजि0 नं0 UP11BQ-8486 जिसमे 50 किलो गौवंशीय पशु अवशेष बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. *वसीम पुत्र शाहिद निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।*
2. *सावेज पुत्र हामिद निवासी मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिसा सहारनपुर।*
3. *फूल मियां पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 बैरून कोटला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।*
4. *असलम पुत्र अल्ताफ निवासी मौ0 भूरी बांस कस्बा कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः–

- *50 किलो गौवंशीय पशु अवशेष*
- *01 गाडी क्रेटा रंग सफेद (रजि0 नं0 UP11BQ-8486)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *व0उ0नि0 अतुल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
4. *का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
5. *का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।*
6. *रि0का0 902 अरूण कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।*